भारत सरकार

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4773

जिसका उत्तर 31.03.2022 को दिया जाना है

चार धाम कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य

4773. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार धाम कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के विकास पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.12.2021 के अपने आदेश में चार धाम कार्यक्रम के तहत 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों (अर्थात् ऋषिकेश-माना, ऋषिकेश-गंगोत्री और टनकपुर-पिथौरागढ़) का पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में चौड़ीकरण (10.0 मीटर चौड़ा कैरिजवे) की अनुमति दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी की अध्यक्षता में एक "निरीक्षण समिति" का गठन किया है। निरीक्षण समिति, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.08.2019 के आदेश के अनुरूप गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। एचपीसी, चार धाम कार्यक्रम के तहत शेष खंड़ों के संबंध में परियोजनाओं के लिए अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। चार धाम कार्यक्रम के विकास पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

(ग) चार धाम कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।

(घ) चार धाम कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और देहरादून जिलों से गुजरते हैं।

*****